Regarding alleged illegal transaction of land in border areas of Barmer district, Rajasthan.-laid

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(**बाड़मेर**) :** बाड़मेर जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से सीलिंग एक्ट के तहत भूमि खरीद-फरोख्त पर कड़ी पाबंदी है । गडरा रोड, रामसर उपखंड के किसानों को भूमि बेचने के लिए मजबूर कर सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करके प्रशासनिक अधिकारी ने अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों व बाहरी अवांछित व्यक्तियों के साथ अवैध तरीके से संवेदनशील क्षेत्र में भूमि का कारोबार किया गया है । यह मसला न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो सकता है । केन्द्र सरकार से अनुरोध है इस गंभीर मसले पर राष्ट्रीय एजेंसी को मौके पर भेजकर जांच करवाए । बाड़मेर जिले में सीलिंग एक्ट के उल्लंघनकर्ता और अवैध भूमि कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएं ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव और कोई खतरा न हो ।